

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

वित्त (नियम) विभाग

क्रमांक:एफ4/मु./वित्त/नियम/6/ 2017/ 1427

दिनांक: 16.03.17


परिपत्र

शासन सचिव, वित्त(बजट) राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक:प.8(10) वित्त/नियम/2009 दिनांक 30.01.2017 की पालना में निगम के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राजकीय/निगम सेवा में सेवारत पति-पत्नि जो एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित हैं तथा एक ही मकान में रहते हैं तो, उनमें से एक का ही मकान किराया भत्ता, जो दोनों में जिसका अधिक हो, आहरित किया जावे। इस सम्बन्ध में आप द्वारा इस परिपत्र के संलग्न प्रारूप 'अ' एवं प्रारूप 'ब' में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे।

यदि माह जनवरी 2017 एवं फरवरी, 2017 के वेतन में दोहरे मकान किराया भत्ता का आहरण किसी निगम कर्मचारी द्वारा कर लिया है, तो उसका समायोजन आगामी माह के वेतन से एक मुश्त किया जावे।

उक्त निर्देश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.12.2016 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अधधीन है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


  
(राजेश योदव)  
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक:एफ4/मु./वित्त/नियम/6/ 2017/ 1427

दिनांक: 16.03.2017

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
- 2 कार्यकारी निदेशक( ), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
- 3 महा प्रबन्धक ( ), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
- 4 उप महा प्रबन्धक( )/कार्यकारी प्रबन्धक( ) मु. जयपुर।
- 5  उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करावें।
- 6 निगम सचिव, रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
- 7 मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, के0 कार्यशाला, रा.रा.प.प. निगम, .....।
- 8 लेखाधिकारी ( ) रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
- 9 मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प. निगम, .....।
- 10 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1( ), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
- 11 आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
(परमेश्वरी चौधरी)  
वित्तीय सलाहकार

उस निगम कर्मचारी द्वारा, जो मकान किराया भत्ते की मंजूरी के लिए आवेदन कर रहा है, प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. मैं.....(नगर/कस्बे का नाम) की नगरपालिका सीमाओं के भीतर स्थित किराये के मकान में रह रहा हूँ और किराये के प्रति कुछ व्यय उपगत कर रहा हूँ । किराये के प्रति अंशदान कर रहा हूँ ।
2. आवास का कोई हिस्सा, जिसके बारे में मकान किराये भत्ते का दावा किया गया है, उप-किराये पर नहीं दिया गया है/उप-किराये पर दिया गया है जिसके लिए.....रूपये मासिक किराया प्राप्त किया जाता है।
3. मैं.....(नगर/कस्बे का नाम) की नगरपालिका सीमाओं के भीतर स्थित मकान में रह, रहा हूँ जो मेरे स्वयं के, मेरी पत्नि/मेरे पति/संतान/पिता/माता/ हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब जिसका मैं सहदायिक हूँ के स्वामित्व का है और मैं मकान या सम्पत्तिकर या मकान के रख रखाव के प्रति संदाय/अंशदान कर रहा हूँ।
4. मुझे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या नगरपालिकाओं आदि जैसे स्वायत्तशासी लोक उपक्रम या निकाय या निगम या अर्द्ध सरकारी संगठन द्वारा सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. मैं ऐसे सरकारी आवास में नहीं रह रहा हूँ जो किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित किया गया है।

निगम कर्मचारी के हस्ताक्षर

प्रारूप घोषणा पत्र

मैं.....घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि:-

मैं .....एवं मेरा/मेरी पति/पत्नि.....  
.....राजकीय/निगम सेवा में एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित  
है एवं एक ही मकान में रहते है। क्योंकि मेरा मकान किराया भत्ता मेरे  
पति/पत्नि से अधिक/कम है अतः मकान किराया भत्ता का भुगतान मेरे  
द्वारा प्राप्त किया जा रहा है / नहीं प्राप्त किया जा रहा है।

अथवा

मेरे पति/ पत्नि राजकीय निगम सेवा में है परन्तु एक ही मुख्यालय पर  
पदस्थापित नहीं है।

अथवा

मेरे पति/ पत्नि राजकीय/निगम सेवा में नहीं है।

निगम कर्मचारी के हस्ताक्षर